

(आदेश फलक)

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या 205/19

धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

हेमन गोप को बनाम खुबदेव महतो को

17-01-20
11-02-20
25-02-20
17-03-20
11-04-20
23-04-20

स्थानीय पुलिस पीरटांड थाना से प्राप्त प्रतिवेदन,

जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद है तथा काफी तनाव है।

06-07-20
24-12-20

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शान्तिभंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष / विपक्षी सदस्यों के विरुद्ध धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 17 / 01 2020 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल के लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/- रुपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष:- 1. हेमन गोप 2. हेमन गोप 3. बहादुर गोप 4. रीतलाल गोप
चारों पिता- स्व० बोधो महतो 5. बाबुदेव गोप 6. आन गोप
दोनों पिता- हेमन गोप लक्ष्मी सा० नावाडीह, थाना पीरटांड।

द्वितीय पक्ष:- 1. खुबदेव महतो, 2. शजु यादव, 3. प्रकाश यादव 4. विनोद यादव
चारों पिता- चन्द्रशेखर महतो 5. पुरन गोप 6. गणेश यादव
दोनों पिता- हेमराज महतो 7. लोनी महतो, पि०- स्व० नन्दो महतो
8. खुबन यादव 9. विशोरी यादव 10. छोटन महतो
दोनों पिता- लोनी महतो लक्ष्मी सा० नावाडीह थाना पीरटांड।

लेखापित

46
07-01-2020
अनु० दण्डाधिकारी
डुमरी (गिरिडीह)



46
07-01-2020
अनु० दण्डाधिकारी
डुमरी (गिरिडीह)

दं.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का
निष्पादन आदेश

वाद संख्या : 205/19-20 -

खेमन जोष वर्ग० बनाम सुखदेव महतो वर्ग०


12-12-20


अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 12-12-2020 को राष्ट्रीय लोक
अदालत में वाद से संबंधित उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत
कर सूचित किया गया। वाद से संबंधित प्रथम पक्ष/उभय पक्ष लोक अदालत
में उपस्थित/अनुपस्थित।

उभय पक्षों के बीच संभवतः शांति-व्यवस्था कायम है। उभय
पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था/विधि-व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन
संबंधित थाना से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही प्रारम्भ
हुए छः माह व्यतीत हो गए हैं।

अतः काल अवधि बाधित होने के कारण अभिलेख की कार्यवाही बन्द की
जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।